

राजस्थान तरकार

राजस्व गृह्य-6 विभाग

क्रमांक: प. 6५६ राज-6/92 पार्ट / । जयपुर दिनांक 27.3.2004

सगत जिला क्लेक्टर,  
राजस्थान ।

परिपत्र

निषय:- होटल प्रयोजनार्थ भूमि स्पान्तरण  
के संबंध में ।

महोदय,

जिला क्लेक्टर ऐसलमेर के द्वारा मह

मार्गदर्शन पाहा गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९९२ के  
ध्येयों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ स्पान्तरण नियम १९९२ के  
नियम ८ के उप नियम १४ के ख के अन्तर्गत कृषि भूमि को होटल  
प्रयोजनार्थ स्पान्तरण के लिये विद्वित प्राधिकारी राज्य तरकार का  
राजस्व विभाग है अथवा उक्त व्यवसाय उद्योग प्रयोजन में आने से  
उप शण्ड अधिकारी है । अतः इस संबंध में स्थिति स्पस्ट करते हुये  
निदेशानुसार लेफ्ट है कि होटल हेतु भूमि स्पान्तरण के लिये विद्वित  
प्राधिकारी राज्य तरकार है ।

  
उप शासन सचिव